सत्यमेव जयते

Case No. 16/2024

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल सं.: NCST/ATY-1626/JH/84/2024-RO-RNC

श्री अजित पीटर डुंगडुंग
पुलिस अधीक्षक,
जिला – देवघर,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
झारखंड पुलिस,
देवघर, झारखंड 814112
Email Id: sp-deo@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें का अन्वेषन करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकडा के समक्ष दिनांक **28/08/2024** को **03:00 PM** बजे, **राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी, रांची (झारखंड)** में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्द्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलें का संदर्भ :-

संदर्भ 1 **अभ्यावेदक श्री राजेश मुर्मु, पिता - श्री हराधन मुर्मू ग्राम - कपसियों, थाना - चितरा, जिला – देवघर (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन " भोला पंडित एवं अन्य अभियुक्तों के द्वारा उनके साथ मारपीट करने, जातिगत गाली देकर अपमानित करने एवं पुलिस के द्वारा केस दर्ज नहीं करने के संबंध में ।**

संदर्भ 2 **पुलिस अधीक्षक, देवघर का पत्र संख्या 705/सा0 शा0 दिनांक 16.05.2024**

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 23/08/2024 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर
न्यायालय अधिकारी

मोहर

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003

सत्यमेव जयते

Case No. 16/2024

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल सं.: NCST/ATY-1626/JH/84/2024-RO-RNC

श्री विशाल सागर
उपायुक्त,
जिला – देवघर
कार्यालय उपायुक्त,
देवघर, झारखंड - 814112
Email Id: dc-deo@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें का अन्वेषन करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकडा के समक्ष दिनांक **28/08/2024** को **03:00 PM** बजे, **राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी, रांची (झारखंड)** में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्द्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलें का संदर्भ :-

संदर्भ 1 **अभ्यावेदक श्री राजेश मुर्मु, पिता - श्री हराधन मुर्मू ग्राम - कपसियों, थाना - चितरा, जिला – देवघर (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन " भोला पंडित एवं अन्य अभियुक्तों के द्वारा उनके साथ मारपीट करने, जातिगत गाली देकर अपमानित करने एवं पुलिस के द्वारा केस दर्ज नहीं करने के संबंध में ।**

संदर्भ 2 **पुलिस अधीक्षक, देवघर का पत्र संख्या 705/सा0 शा0 दिनांक 16.05.2024**

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 23/08/2024 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

मोहर

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003